न्यायालय- सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

<u>सत्र परीक्षण संख्या-855/2022</u>

उ0प्र0 राज्य बनाम गंगा शरण।

<u>आदेश</u>

<u>07-04-2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त गंगा शरण न्यायालय में उपस्थित आया।

अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि, अभियुक्त गंगा शरण के विरूद्ध धारा-307, 504 भा0 दं0 संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जा सकता है। उपरोक्तानुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण का अनुरोध किया।

पत्रावली दिनांक 26-04-2022 को वास्ते अभियोजन साक्ष्य पेश हो। अभियोजन साक्षी तलब हों।

(डॉ0 अजय कुमार-द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
I.D.N0-UP 6535

न्यायालय- सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

<u>सत्र परीक्षण संख्या</u>**-855/2022**

उ0प्र0 राज्य बनाम गंगा शरण।

<u>आरोप</u>

मैं, डॉ0 अजय कुमार-द्वितीय, सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद आप अभियुक्त-**गंगा शरण** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

प्रथम- यह कि, दिनांक 24–11–2021 को समय रात्रि 11.00 बजे, स्थान मिलक डरौला, थाना मझौला, जिला मुरादाबाद में आपने अपनी पत्नी/वादिनी मुकदमा सीमा को जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर तारपीन का तेल छिड़कर आग लगाकर इन परिस्थितयों में व इस ज्ञान के साथ गम्भीर उपहति कारित की कि, यदि आपके द्वारा किये गये कृत्य से पीड़िता की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा०दं०संहिता की धारा–307 के अधीन दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि, उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय गाली–गलौंज करके अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा०दं०संहिता की धारा–504 के अधीन दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

मैं, एतदद्वारा आपको निर्देश देता हूँ कि, इस न्यायालय द्वारा उक्त आरोप में आपका विचारण किया जाएगा।

(डॉ0 अजय कुमार-द्वितीय)
दिनांकः 07-04-2022 सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
I.D.N0-UP 6535

उक्त आरोप मेरे द्वारा अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

(डॉ0 अजय कुमार-द्वितीय)
दिनांकः 07-04-2022 सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
I.D.N0-UP 6535